न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी- चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी -गितेश श्री मालवीय-RAS

(1.) प्रकरण संख्या- डी 96 सन-2020

पंजीयन दिनांक - 30/12/2020

- उनवान -

1. भेरू सिंह पिता माधु सिंह जाति राजपूत मृतक की बजाय------

1/1 गोपाल सिंह उर्फ भोपाल सिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ।

1/2 केसरसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ।

1/3 गणपतसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ।

1/4 रणजीतसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ।

1/5 रायसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ।

1/6 इंदिरा बाई बेवा स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ।

1/7 मुन्नी बाई उर्फ दुर्गा बाई पुत्री स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ।

1/8 जस्सु उर्फ जसोदा बाई पुत्री स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ।

---- अपीलान्ट

बनाम

1 ओंकारसिंह पिता माधु सिंह जाति राजपूत मृतक की बजाय

1/1 विजयसिंह पिता स्व० ओंकारसिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ।

1/2 शम्भू कँवर पुत्री स्व० ऊंकारसिंह पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तहसील-छोटी सादडी जिला प्रतापगढ।

1/3 कैलाश कंवर पुत्री स्व० ऊंकारसिंह पत्नी राजू सिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तहसील-छोटी सादडी जिला प्रतापगढ।

2. जयसिंह पिता स्व० माधु सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

3. भूमिधारी तहसीलदार (उप पंजीयक) निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

--- रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी
निम्बाहेड़ा बमुकदमा नंबर 226/2010 निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री
दिनांक 16-07-2018

उपस्थिति वक्त बहस---छोगा लाल जाट अधिवक्ता अपिलान्ट
शहादत अली अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण-1/1 से 1/3
रेस्पोडेन्ट क्रमांक 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट क्रमांक -3

(2.) प्रकरण संख्या- डी 96 A सन-2020
पंजीयन दिनांक - 30/12/2020

- उनवान -

1 भेरू सिंह पिता माधु सिंह जाति राजपूत मृतक की बजाय
1/1 गोपाल सिंह उर्फ भोपाल सिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़।
1/2 केसरसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़।
1/3 गणपतसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़।
1/4 रणजीतसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़।
1/5 रायसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़।
1/6 इंदिरा बाई बेवा स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़।
1/7 मुन्नी बाई उर्फ दुर्गा बाई पुत्री स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़।
1/8 जस्सु उर्फ जसोदा बाई पुत्री स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़।

---- अपीलान्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

1 ओंकारसिंह पिता माधु सिंह जाति राजपूत मृतक की बजाय

1/1 विजयसिंह पिता स्व० ओंकारसिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।

1/2 शम्भू कँवर पुत्री स्व० ऊंकारसिंह पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तहसील-छोटी सादडी जिला प्रतापगढ।

1/3 कैलाश कंवर पुत्री स्व० ऊंकारसिंह पत्नी राजू सिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तहसील-छोटी सादडी जिला प्रतापगढ।

2. जयसिंह पिता स्व० माधु सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।

3. भूमिधारी तहसीलदार (उप पंजीयक) निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ।

--- रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी
निम्बाहेड़ा बमुकदमा नंबर 226/2010 निर्णय एवं अन्तिम डिक्री
दिनांक 07-01-2019

उपस्थिति वक्त बहस---छोगा लाल जाट अधिवक्ता अपिलान्ट
शहादत अली अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण-1/1 से 1/3
रेस्पोडेन्ट क्रमांक 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट क्रमांक -3

निर्णय

दिनांक -17/05 / 2023

1. अपीलार्थीगण ने यह दो अपीलें धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16-07-2018 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 07-01-2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। दोनों अपीले एक साथ निर्णित की जा रही है

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद मौजा बिनोता में स्थित आराजी नंबर 779/1737 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा मय चाह एवम मौजा बेनपुरी कलां में स्थित आराजी नम्बर 20 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत किया। वादग्रस्त आराजी में 1/3 हक हिस्सा व बटवारा की दाद चाही गयी। दिनाँक 13-10-2004 को रेस्पोडेन्ट-1 का वादपत्र मौजा बिनोता में स्थित आराजी नंबर 779/1737 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में खारिज किया गया। जबकि मौजा बेनपुरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चितौड़गढ़ (राज.)

कलां में स्थित आराजी नम्बर 20 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा के संबंध में वाद आंशिक स्वीकार करते हुए निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। इस डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसे दिनाँक 31-03-2010 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को मय निर्देश रिमांड किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 226 /10 दर्ज कर प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बगैर एक पक्षीय कार्रवाई कर मौजा बिनोता की आराजी के संबंध में वाद डिक्री कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। इससे व्यथित होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या एक द्वारा अलग-अलग दो अपीले प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद कानून अधिनियम प्रस्तुत किया।

3. इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2018 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07-01-2019 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर एक साथ सुनी गई। दोनों अपीलों में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली विवादित आराजियात, पक्षकारान समान होने से दोनों अपीले एक साथ निर्णित की जा रही है।

4. पत्रावली में दिनांक 21.04.2023 को उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या दो दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

5. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपील के प्रमुख तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादग्रस्त आराजियात में 1/3 ,1/3 हक हिस्से का दावा किया। उक्त वाद में दिनांक 13.10 2004 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर 1/4, 1/4 हिस्सा घोषित किया गया। निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 28.03.2006 को पारित की गई इससे व्यथित होकर अपील क्रमांक 86/ 2006 व 275 / 2007 प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय 31.03.2010 को किया गया। दोनों अपीले अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमांड के आधार पर दिनांक 16.07.2018 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री तथा दिनांक 7.01.2019 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की परंतु रिमांड में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की गई। मौजा बिनोता की आराजी नंबर 779 /1737 अपीलांट प्रतिवादी संख्या एक की स्व अर्जित संपति है और जागीरदार द्वारा पट्टा भी भैरू सिंह के नाम जारी किया गया है। अतः शेष तीन भाइयों का इसमें कोई हक हिस्सा नहीं बनता है जबकि डिक्री में चारों भाइयों को हकदार माना गया। और एक भाई व उसकी बेवा लाओलाद फ़ौत होने से शेष तीनो भाइयों के पक्ष में 1/3,1/3 हक हिस्सा घोषित कर दिया। अतः मौजा बिनोता में स्थित आराजी नंबर 779/1737 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री तथा निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जाये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

6. प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण 1/1 से 1/3 ने दौराने बहस अर्ज किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाँक 16. 07.2018 को प्राथमिक डिक्री पारित करते समय उभय पक्षकारान मौजूद थे। अंतिम डिक्री दिनांक 07.01.2019 को पारित की गई। इसकी अपील दिनाँक 30.12.2020 को की गई जो की अवधिपार होने से खारिज योग्य है। इसके साथ ही प्रकरण में माधुसिंह के 4 पुत्र थे 1 पुत्र व उसकी बेवा लाऔलाद फौत होने से तीन वारिसान बचते है। माधु सिंह द्वारा अर्जित वादग्रस्त आराजी में तीनों भाइयों का 1/3,1/3 हक हिस्सा निहित होता है। इसकी ताईद रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब से भी हुई है। इसके साथ ही प्रस्तुत अपील एक मृत व्यक्ति रेस्पोंडेंट नंबर 1 के विरुद्ध लाई गई। पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी में मृतक की बेवा का नाम शामिल नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज किया जावे। वादग्रस्त आराजियात माधु सिंह द्वारा अर्जित की थी परंतु इनकी मृत्यु हो जाने से इनके बालिग पुत्र भैरू सिंह के नाम वादग्रस्त आराजी दर्ज हो गई जबकि माधु सिंह के वारिसान का इसमें 1/3,1/3 हक हिस्सा निहीत है। इसके साथ में माधु सिंह के पक्ष में जागीरदार द्वारा जारी 2 पट्टों की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की गई। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उक्त पट्टों की प्रमाणित प्रति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नवीन साक्ष्यों के आधार पर रिमांड में दिए गए निर्देशानुसार पुनः सुनवाई की एवं दिनांक 16.07.2018 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 07.01.2019 को अंतिम डिक्री पारित की गई जो बिल्कुल दुरस्त होकर सही है अपिलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का अवलोकन किया और पाया गया कि विलंब के ठोस आधार है। अतः विलंब को कंडोन किया जाता है।

8. हमनें उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड व अपील पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों जवाब इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया।

9. विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय व अंतिम डिक्री इस न्यायालय के अपील संख्या 86/2006 व 275/2007 के निर्णय की पालना में पुनः सुनवाई कर पारित की गई । रिमांड के साथ निर्देश दिए गए थे कि इस न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 जा०दी० के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज भिजवाये जा रहे है जिनके सन्दर्भ में पक्षकारान को पुनः सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। प्रार्थी अपीलांट ने आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत ग्राम बिनोता की विवादित भूमि के संबंध में जागीरदार के पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि सहायक निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया गया था। उक्त निर्देशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनी और उक्त निर्देशानुसार नवीन साक्ष्य प्रदर्श-9 जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जागीरदार के पट्टे की प्रतिलिपि है एवं सहायक निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर द्वारा जारी किया गया है जिसमें ग्राम बिनोता की आराजी का उल्लेख है। उक्त भूमि माधु सिंह को दी गई है। माधु सिंह रेस्पोंडेंट-1 वादी व प्रतिवादी एक व दो के पिता थे। कुए के मुंडेर पर लगे पत्थर पर भी चारों भाइयों का नाम अंकित होने एवं बंटवारे के स्टाम्प में भी चारों भाइयों के आपस में बंटवारे का अंकन होने संबंधित नवीन साक्ष्य व मौखिक बयानों के आधार पर ग्राम बिनोता की साबिक आराजी नंबर 779/1737 हाल खसरा नंबर 1192 रकबा 0.89 हेक्टेयर को पुश्तैनी मानते हुए चारों भाइयों का बराबर हक निहित होना माना गया। चूंकि एक भाई नाहर सिंह व उसकी बेवा लाऔलाद फोत होने से शेष तीनों भाइयों को 1/3,1/3 हिस्से के हकदार मानते हुए वाद वादी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16-07-2018 को किया गया। इस प्रकार दिनांक 07.01.2019 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलांट दौराने सुनवाई ऐसा कोई साक्ष्य इत्यादि पेश नहीं कर पाए जिससे साबित होता हो कि मौजा बिनोता की आराजी नंबर 779/1737 पर अपीलांट का अधिपत्य या हक हिस्सा था। जबकि रेस्पोंडेंट द्वारा एक पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दौराने बहस उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे। रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने भी जवाब में वादग्रस्त आराजी में तीनों भाइयों का 1/3,1/3 हिस्सा होना कबूला है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील के तथ्य साबित नहीं होते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। अतः दोनों अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

10. उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के परिणाम स्वरूप अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 96/2020 व अपील क्रमांक डिक्री 96 A/2020 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी निंबाहेड़ा के प्रकरण संख्या 226/2010 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16-07-2018 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.01.2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्य प्रति के साथ लौटाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 17/05/2023 को सुनाया गया पत्रावली फेसल शुमार हो। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपीलों की पत्रावलियो में संलग्न की जावे।

17/05/2023

(गितेश श्री मालवीय-आर.ए.एस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज०)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- गितेश श्री मालवीय, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 96/2020/डिक्री पंजीयन दिनांक 30.12.2020 व

अपील सं.:- 96ए/2020/डिक्री पंजीयन दिनांक 30.12.2020

1 भेरू सिंह पिता माधु सिंह जाति राजपूत मृतक की बजाय-----
1/1 गोपाल सिंह उर्फ भोपाल सिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।
1/2 केसरसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।
1/3 गणपतसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।
1/4 रणजीतसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।
1/5 रायसिंह पिता स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।
1/6 इंदिरा बाई बेवा स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।
1/7 मुन्नी बाई उर्फ दुर्गा बाई पुत्री स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।
1/8 जस्सु उर्फ जसोदा बाई पुत्री स्व० भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।

-अपीलान्ट

बनाम

1 ओकारसिंह पिता माधु सिंह जाति राजपूत मृतक की बजाय
1/1 विजयसिंह पिता स्व० ओकारसिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।
1/2 शम्भू कँवर पुत्री स्व० ऊकारसिंह पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तहसील-छोटी सादडी जिला प्रतापगढ।
1/3 कैलाश कवर पुत्री स्व० ऊंकारसिंह पत्नी राजू सिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तहसील-छोटी सादडी जिला प्रतापगढ।
2 जयसिंह पिता स्व० माधु सिंह जाति राजपूत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चितौड़गढ।
3 भूमिधारी तहसीलदार (उप पंजीयक) निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ।

-रेस्पोडेन्टस

विरुद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 226/2010 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 16.07.2018 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री 07.01.2019 अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 17.05.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री शहादत अली, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पूरणमल स्वर्णकार की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि-

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 96/2020 व अपील क्रमांक डिक्री 96 A/2020 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी निंबाहेड़ा के प्रकरण संख्या 226/2010 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.07.2018 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.01.2019 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

17/05/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ